न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :90/2017

1. संजीव कुमार पुत्र रोचीराम उर्फ रोचीमल जाति सिंधी निवासी वार्ड न. 16, गुरनानक बस्ती, श्री करणपुर। --प्रार्थी--

बनाम

1. रोचीराम उर्फ रोचीमल पुत्र जयसिंह मल जाति सिंधी निवासी मकान न. 57 ए ब्लॉक, वार्ड न. 18 श्री करणपुर।
2. जय भगवान पुत्र रोचीराम उर्फ रोचीमल पुत्र जयसिंह मल जाति सिंधी निवासी मकान न. 57 ए ब्लॉक, वार्ड न. 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
3. शीला देवी पुत्री रोचीराम उर्फ रोचीमल पुत्र जयसिंह मल जाति सिंधी निवासी मकान न. 57 ए ब्लॉक, वार्ड न. 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
4. निर्मला देवी पुत्री रोचीराम उर्फ रोचीमल पुत्र जयसिंह मल जाति सिंधी निवासी मकान न. 57 ए ब्लॉक, वार्ड न. 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
5. दर्शना देवी पुत्री रोचीराम उर्फ रोचीमल पुत्र जयसिंह मल जाति सिंधी निवासी मकान न. 57 ए ब्लॉक, वार्ड न. 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
6. अंजना नागपाल पत्नि हेमराज पुत्र मुकदलाल जाति अरोडा निवासी तहबाजारी श्री करणपुर। (नाम हटाया)
7. अनु नागपाल पुत्री हेमराज पुत्र मुकदलाल जाति अरोडा निवासी तहबाजारी श्री करणपुर। (नाम हटाया)
8. सुमेश नागपाल पुत्र हेमराज पुत्र मुकदलाल जाति अरोडा निवासी तहबाजारी श्री करणपुर। (नाम हटाया)
9. अशोक कुमार पुत्र जानीराम जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
10. पवन कुमार पुत्र जानीराम जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर।(नाम हटाया)
11. कृष्णा देवी पुत्री जानीराम पत्नि नामनामालुम केयर ऑफ अशोक कुमार पुत्र जानीराम जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर।(नाम हटाया)
12. धन्नी देवी पुत्री जानीराम पत्नि नामनामालुम केयर ऑफ अशोक कुमार पुत्र जानीराम जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
13. मीना कुमारी पुत्री जानीराम पत्नि नामनामालुम केयर ऑफ अशोक कुमार पुत्र जानीराम जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर। (नाम हटाया)
14. रेवाचंद पुत्र जयसिहमल जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर (नाम हटाया)
15. महादेव प्रसाद पुत्र जयसिहमल जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर(नाम हटाया)
16. पदमा देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर(नाम हटाया)
17. दीपक कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर(नाम हटाया)
18. गौरव कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति सिंधी निवासी वार्ड न 18 श्री करणपुर(नाम हटाया)
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री पलविन्द्र सिंह , अधिवक्ता -:प्रार्थी की ओर से:-
2. श्री के.के परूथी, अधिवक्ता -:अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से:-
   राजपैरोकार -:अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 3/7/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 47 एफए की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 56/52 के मु0न0 3,4,5,34/2 की 3.289 है. नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो उसे विरास्त में प्राप्त हुई है इसी प्रकार चक 1एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

संजीव कुमार बनाम रोचीराम आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 90/2017

112/85 के मु.न. 52 की 2.479 है. नहरी बारानी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.461 है. भूमि साझा खाता में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 90/93 के मु.न 6 की 0.506 है. नहरी भूमि अप्रार्थी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 47 एफए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 53/58 के मु.न. 3,5,34/2 की कुल 3.011 है. नहरी बारानी मय खाला भूमि में अप्रार्थी सख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा अर्थात 0.602 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार इन तीनो चको की चारों खातों की अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व अविभाजित सम्पति होने से प्रार्थी का जन्म से ही इसमें हक एवं हिस्सा है। प्रार्थी अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज इस भूमि में से 1/6 हिस्सा का हकदार है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य को मुन्तकिल करने का प्रयास किया जा रहा है यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए मूलवाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषधाज्ञा जारी की जावे कि वह चक 47 एफए की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 56/52 के मु0न0 3,4,5,34/2 की 3.289 है. नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, इसी प्रकार चक 1एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 112/85 के मु.न. 52 की 2.479 है. नहरी बारानी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.461 है.एवं चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 90/93 के मु.न 6 की 0.506 है. नहरी भूमि तथा चक 47 एफए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 53/58 के मु.न. 3,5,34/2 की कुल 3.011 है. नहरी बारानी मय खाला भूमि में अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा अर्थात 0.602 है. भूमि को रहन बैय एवं स्थान्तरित करने से निषेध रहे एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से के.के. परूथी अधिवक्ता उपस्थिति आए। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 18 के नाम हटाये जाने बाबत निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा कोई एतराज नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 18 के नाम हटाये जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह अस्वीकार है कि वादगत भूमि जयसिंह मल व आसर बाई से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा स्वंय खरीद की गई भूमि है। चक 47 एफ के मु.न 5 के किला न. 6 ता 15 कुल 10 बीघा भूमि अप्रार्थी द्वारा अपनी आय से खरीद की गई है। इस खरीद की गई जमीन को अपने पिता जयमल सिंह के कहने से जिसे 6 हिस्सों में बाटकर अपने भाईयों को दे दी। और इसके बदले जयमल सिंह ने चक 47 एफ ए के मु.न. 3 में 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को दे दी। जो की उसकी स्वंय की भूमि हुई। इस भूमि में मेरे भाई एवं लडके लडकियों का कोई हिस्सा नहीं बनता प्रार्थी, अप्रार्थी के कहने में नही चलता हमेशा गलत काम करता है। जिससे परिवार की बदनामी होती है इसलिए प्रार्थी को घर की सम्पति से वचिंत कर दिया गया है। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रार्थी के नाबालिग अवस्था में दुकान नं 87 धानमण्डी श्री करणपुर का आधा हिस्सा एवं गजसिंहपुर रोड पर दुकान न 561 का आधा हिस्सा अप्रार्थी के द्वारा खरीद करके वादी के नाम रजिस्ट्री करवा दी एव तमाम हक व नकदी दे दिया। वादी का चाल चलन सही नहीं होने के कारण उसे तमाम चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया प्रार्थी कृषि कार्य न करके मिस्त्री का कार्य करता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

संजीव कुमार बनाम रोचीराम आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 90/2017

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 47 एफ ए के खाता संख्या 56/52 व 53/58 चक 1 एफ ए के खाता संख्या 112/85 तथा 47 एफ के खाता सख्या 90/93 में अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 रोचीराम उर्फ रोचीमल के नाम दर्ज भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें उसका 1/6 हिस्सा बनता है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि भूमि विरास्तन प्राप्त नही हुई है उसकी स्वयं की खरीद की हुई है। प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा इस वादगत भूमि से प्राप्त होना है या नहीं यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ इस भूमि के विरास्तन बाबत इन्तकाल व गत जमाबन्दीयों की प्रतिया पेश की है। धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दूओ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन एवं राईट एवं टाईटल पर विचार किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा काा सतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चक 47 एफए की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 56/52 के मु0न0 3,4,5,34/2 की 3.289 है. नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, इसी प्रकार चक 1एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 112/85 के मु.न. 52 की 2.479 है. नहरी बारानी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.461 है.एवं चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 90/93 के मु.न 6 की 0.506 है. नहरी भूमि तथा चक 47 एफए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 53/58 के मु.न. 3,5,34/2 की कुल 3.011 है. नहरी बारानी मय खाला भूमि में अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा अर्थात 0.602 है. भूमि इस प्रकार तीनों चको के चारो खातो में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.858 है. नहरी बारानी भूमि में प्रार्थी के द्वारा तथाकथित क्लेम किए गए 1/6 हिस्सा भूमि की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। इन तीनो चको के इन चारो खातो की शेष भूमि पर यह स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner